

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर - 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल - aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ2 (ग)(केडर रिव्यू) अलेसे 1/ 677

दिनांक :- 17.8.2021

आदेश संख्या : 19/2021-22

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ1(11)एफडी/रेवेन्यू/96 पार्ट-II जयपुर दिनांक 28/04/2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 13/08/2013 में दिये गये निर्देशों तथा सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के पत्र क्रमांक एफ.1(1)/रा.प्र.नि.म./स्था./34-45 दिनांक 05/04/2021 के क्रम में राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की एक्स काडर स्ट्रेन्थ में प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (एक्स काडर) की सूची में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-

क्र.स.	कार्यालय का नाम	संशोधन पूर्व पद			संशोधन पश्चात् पद		
		स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार
1	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय जैसलमेर जैसलमेर (8000691)	0	0	0	0	0	1
2	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय झालावाड़ झालावाड़ (8000692)	0	0	0	0	0	1
3	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय झुंझुनूं झुंझुनूं (8000693)	0	0	0	0	0	1
4	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय नागौर नागौर (8000694)	0	0	0	0	0	1
5	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय बूंदी बूंदी (8000689)	0	0	0	0	0	1
6	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय राजसमंद राजसमंद (8000695)	0	0	0	0	0	1
7	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर (8000697)	0	0	0	0	0	1
8	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय सिरोही सिरोही (8000696)	0	0	0	0	0	1
9	क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ (8000690)	0	0	0	0	0	1



उक्त पद सृजन/समाप्ति के उपरान्त राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा की नवीनतम कैडर स्ट्रेन्थ निम्नानुसार है:-

विवरण	स.ले.अ.-I	स.ले.अ.-II	क.लेखाकार	योग
वर्तमान कैडर स्ट्रेन्थ	2275	3566	5328	11169
नवीन कैडर स्ट्रेन्थ	2275	3566	5337	11178

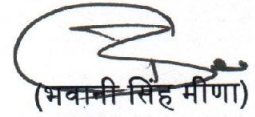

(भूपेश माथुर)
निदेशक

क्रमांक :- एफ2 (ग)(कैडर रिव्यू) अलेसे II 677

दिनांक :- 17.8.2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर
2. संबंधित विभागाध्यक्ष
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. निजी सचिव, निदेशक।
5. पदस्थापन सहायक अलेसे II / II / III को विभागीय अभिलेखों में आवश्यक संशोधन किये जाने हेतु


(भवानी सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)